

कोड संख्या

पत्रावली संख्या

संदर्भ

1	308	

निम्न डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नौएडा) गौतमबुद्ध नगर
(मानचित्र स्वीकृति पत्र)

नौएडा/भ०प्र०/बी० पी०/बी०पी०आर० V.308 / 467 / दिनांक 11/11/2024

देवा में,

श्रीमती/श्री/मै०

M/s. Digamber Jain Society for Child
Welfare (Reg)
Mallura Road, Jang Pura.
New Delhi. 11.

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 11/11/2024 के संदर्भ में आपके प्रस्तावित Institutional

भवन निर्माण की प्लॉट सं० K-52 & SIA सेक्टर 12 पर निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से Two Years तक वैध है।
- मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से संबंधित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नौएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टैड) नहीं माना जाएगा।
- भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
- यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।
- दरवाजे व खिड़कियां इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोजेक्टैड) न हो।
- विजली की लाईन से पांच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
- आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए।
- स्वीकृत मानचित्रों का एक सेट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नौएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जाएगा। आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नौएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा। अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।
- मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।

C.L.